-प्रेस नोट-

दिनांक: 28.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना रामपुर मनिहारान, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 25-05-2024 को वादी द्वारा एक लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त मोहित उर्फ कल्लू पुत्र इसमपाल निवासी इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की पत्नी के साथ दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में थाना रामपुर मनिहारान पर मु0अ0सं0 0161/2024 धारा 376 IPC पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नकुड़ के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक रामपुर मनिहारान के कुशल नेतृत्व मे आज 28.05.2024 को मुखबिरकी सूचना पर थाना रामपुर मनिहारान पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मोहित उर्फ कल्लू पुत्र इसमपाल निवासी इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर को इस्लामनगर चौकी क्षेत्र शेरपुर गेट के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मोहित उर्फ कल्लू पुत्र इसमपाल निवासी इस्लामनगर थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. प्र0नि0 नरेन्द्र कुमार शर्मा थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
2. उ0नि0 आनन्द पोसवाल थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर
3. उ0नि0 पंकज कुमार थाना रामपुर मनिहारान सहारनपुर

दिनांक: 28.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर, सहारनपुर पुलिस द्वारा दुष्कर्म के 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 23.05.2024 को वादी ने एक लिखित प्रार्थना पत्र बाबत अभियुक्त सागर पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर अपने साथ ले जान के संबंध में थाना मिर्जापुर पर **मु0अ0स0 84/24 धारा 363 भादवि** पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर ने उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अपहृता की सकुशल बरामदगी एवं अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश- निर्देश दिए। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एंव क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा व0उ0नि0/आईसी मनोज कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना मिर्जापुर पुलिस टीम द्वारा अपहृता को सकुशल बरामद कर ,मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त **सागर पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को गोदरेज कम्पनी उत्तराखण्ड से गिरफ्तार किया गया। विवेचना / साक्ष्यों के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में **धारा 376 भादवि व 3/4 पोक्सो एक्ट** की वृद्धि की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

सागर पुत्र श्याम लाल निवासी ग्राम कासमपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 राममेहर सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. उ0नि0 भूपेश शर्मा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर
3. म0उ0नि0 सुमन थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
4. मका0 897 हेमलता थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
5. का02219 रोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक:28.05. 2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बड़गांव,सहारनपुर पुलिस द्वारा लूट की घटना का 72 घंटे में सफल अनावरण करते हुए 03 शातिर लुटेरे गिरफ्तार, कब्जे से 01 ई-रिक्शा व 01 मोबाईल फोन बरामद ।

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2024 को वादी सूफियान पुत्र गफ्फार उर्फ़ नानू निवासी मानकी थाना देवबंद सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित तहरीर बाबत अज्ञात अभियुक्तगण द्वारा वादी का ईरिक्शा व मोबाइल रियलमी लूट लेने ले जाने के सम्बन्ध में थाना बडगांव पर मु0अ0सं0-110/2024 धारा-392 भादवि पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल उपरोक्त घटना का संज्ञान लेकर अभियोग के शीघ्र अनावरण, अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बडगांव श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.5.2024 को 03 अभियुक्त **01.राकिब पुत्र हारून निवासी ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 02. सत्यम पुत्र मिथुन निवासी ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर 03.प्रियांशु उर्फ़ पेन्चू पुत्र बबलू निवासी ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर** को राणा ब्रिक फील्ड सिरसली कला रोड से गिरफ्तार किया गया । कब्जे से लुटा ई - रिक्शा व मोबाईल बरामद किया गया । बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 411 भादवि की वृद्धि की गयी । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ करने पर अभियुक्त राकिब उपरोक्त द्वारा बताया गया कि हम तीनो को पैसो की जरूरत थी। इसलिये हमने योजना बनाकर दिनांक 25.05.2024 को सूफियान को महेशपुर के पास रोककर डरा – धमका कर उसका मोबाइल और ई-रिक्शा लूट लिया था | जिसे आज पुलिस ने हमसे बरामद कर लिया है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता:-

01. राकिब पुत्र हारून निवासी ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
02. सत्यम पुत्र मिथुन निवासी ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।
03. प्रियांशु पुत्र बबलू निवासी ग्राम हरडाखेडी थाना चिलकाना जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरणः-

- 01 ई-रिक्शा न० UK17 ER 0353
- 01 मोबाइल रियलमी

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1.अतिरिक्त निरीक्षक मीरपाल तेवतिया थाना बडगांव जनपद सहारनपुर।
2.उपनिरीक्षक पंकज कुमार चौकी प्रभारी मोरा थाना बडगांव जनपद सहारनपुर |
3.प्रशिक्षु उपनिरीक्षक अरविन्द कुमार थाना बडगांव जनपद सहारनपुर|

4.प्रशिक्षु उपनिरीक्षक शहरोज आलम थाना बडगांव जनपद सहारनपुर|
5.का० 2378 सन्नी थाना बडगांव जनपद सहारनपुर |
6.हो०गा० 2077 सतीश थाना बडगांव जनपद सहारनपुर |

-प्रेस नोट-

दिनांक- 28.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष नानौता के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.2024 को 01 वारंटी अभियुक्त अक्षय पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम अनन्तमऊ थाना नानौता जिला सहारनपुर संबंधित वाद सं0 249/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम माननीय न्यायालय अपर सिविल जज (जूडीजेएम) देवबन्द को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी उपरोक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

अक्षय पुत्र अनिल कुमार निवासी ग्राम अनन्तमऊ थाना नानौता जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1. उ0नि0 श्री शीशपाल सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 490 अरविन्द कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 823 नीरज कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा धोखाधडी के अभियोग में वांछित चल रहे 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित/ वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष श्री अमित कुमार के कुशल नेतृत्व मे आज दिनांक 28.05.2024 को मुखबिर की सूचना पर थाना नानौता पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 121/23 धारा 420/467/468/470/471 भादवि का वांछित अभियुक्त अर्जुमन्द खां पुत्र अजमल खां निवासी परासौली थाना बुढाना जिला मु0नगर को आज दिनाँक 25.05.2024 को गुरूनानक स्कूल के पास कस्बा नानौता से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अर्जुमन्द खां पुत्र अजमल खां निवासी परासौली थाना बुढाना जिला मु0नगर।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 121/23 धारा 420/467/468/470/471 भादवि थाना नानौता सहारनपुर।
2.मु0अ0सं0 103/2024 धारा 120बी/307/323/504/506 भादवि थाना नानौता सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.उ0नि0 श्री लोकेश कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
2.उ0नि0 श्री जितेन्द्र कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर
3.का0 2032 सचिन कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांक -28.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना नानौता, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण एवं वांछित / वारन्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थानाध्यक्ष नानौता के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.2024 को 01 वारंटी अभियुक्त **अंकित उर्फ अमित पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम कुआंखेडा थाना नानौता जिला सहारनपुर** सम्बन्धित **मु0अ0सं0 140/2017 धारा 392 भादवि चालानी थाना रामपुर मनिहारान** माननीय न्यायालय **न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम जनपद सहारनपुर वाद सं0 161/19** को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी के विरुद्ध अन्य आवश्यक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

वारण्टी का नाम व पता:-

अंकित उर्फ अमित पुत्र वीर सिंह निवासी ग्राम कुआंखेडा थाना नानौता जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी:-

1.उ0नि0 जयवीर सिंह थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

2.उ0नि0 यू0टी0 कृष्ण कुमार थाना नानौता जनपद सहारनपुर।

प्रेस नोट

दिनांकः 28-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह, सहारनपुर पुलिस द्वारा गुमशुदा को तलाश कर उसके परिजनो को किया सकुशल सुपुर्द किया

अवगत कराना है कि दिनांक 25.05.2024 को आवेदक असलम पुत्र जाहिद हसन निवासी ग्राम बिसस्लहेड़ा थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर द्वारा थाना गंगोह पर अपने पुत्र मुजक्किर उम्र 18 वर्ष की कस्बा गंगोह में मदरसा जामिआ अशरफुल उलूम रशीदी से बिना बताये कही चले जाने के सम्बन्ध में गुमशुदगी पंजीकृत करायी गयी थी।

आज दिनांक 28.05.24 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे ऑपरेशन तलाश के अन्तर्गत गुमशुदा व्यक्ति की तलाश हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी गंगोह के निकट पर्यवेक्षण मे तथा थाना प्रभारी गंगोह के कुशल नेतृत्व मे गठित पुलिस टीम द्वारा गुमशुदा मुजक्किर पुत्र असलम निवासी ग्राम बिसस्लहेडा थाना नकुड जनपद सहारनपुर को ग्राम बुल्ला थाना कैथल जिला हरियाणा से तलाश कर सकुशल उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया तथा गुमशदा के पिता असलम उपरोक्त द्वारा पुलिस का आभार प्रकट किया गया ।

गुमशुदा का नाम व पताः-

मुजक्किर पुत्र असलम नि0 ग्राम बिसस्लहेडा थाना नकुड जनपद सहारनपुर उम्र 18 वर्ष।

पूछताछ का विवरण मुजक्किर उपरोक्त द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि मेरा पढाई लिखाई में मन नही लगता है मैं काम करना चाहता था इसलिए काम की तलाश में और पैसे कमाने के लिए मजदूरी करने चला गया था गलती हो गय अब आगे से मैं अपने घर से बिना किसी को बताये नही जांऊंगा।

तलाश करने वाली टीम-

1. उ0नि0 सन्दीप सिंह थाना गंगोह जिला सहारनपुर (चौकी प्रभारी कस्बा गंगोह)
2. का0 1606 दीपक कुमार थाना गंगोह जिला सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28-05-2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना बेहट, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 12 ग्राम अवैध स्मैक बरामद।

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियन्त्रण, अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम एवं संलिप्त अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 28.05.2024 को थाना बेहट पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त सोनू उर्फ सरफराज उर्फ लच्छी पुत्र शफीक निवासी मौ0 कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर मौ0 कस्सावान मे कस्सावान चौक से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के कब्जे से 12 ग्राम स्मैक नाजायज बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना बेहट पर मु0अ0स0-160/2024 धारा-8/21 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्त उपरोक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

अभियुक्त सरफराज उर्फ सोनू उर्फ लच्छी ने पूछताछ करने पर बताया कि मै यह स्मैक सस्ते दाम मे अन्य राज्यों से खरीदकर लाता हूँ और यहां आसपास के क्षेत्र में महंगे दाम में बेचकर अच्छा मुनाफा कमाता हूँ।आज भी मै यह स्मैक बेचने जा रहा था कि पुलिस टीम द्वारा मुझे पकड लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

सोनू उर्फ सरफराज उर्फ लच्छी पुत्र शफीक निवासी मौहल्ला कस्सावान कस्बा व थाना बेहट जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरणः -

12 ग्राम अवैध स्मैक नाजायज

आपराधिक इतिहास अभियुक्त सरफराज उर्फ सोनू उर्फ लच्छी

1. मु0अ0सं0 31/22 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 111/19 धारा 147/152/186/188/332/353/352/114 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
3. मु0अ0सं0 233/17 धारा 3/5/8 सीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
4. मु0अ0सं0 540/20 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
5. मु0अ0सं0 418/23 धारा 414 भादवि थाना बेहट सहारनपुर
6. मु0अ0सं0 – 87/15 धारा 5/8 सीएस एक्ट व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना मिर्जापुर सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस पार्टी का नाम-:

1. अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
2. उ0नि0 श्री हरिओम सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
3. है0का0 521 सुनील राणा थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 1323 कुलदीप सिंह थाना कोतवाली बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक: 28.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा नाबालिग के साथ कुकर्म करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 27.05.2024 को वादिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र बावत वादिया के नाबालिग पुत्र उम्र करीब 16 वर्ष के साथ अभियुक्त जलीस पुत्र हनीफ निवासी रहमानी चौक गली नं0 2 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर द्वारा कुकर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 166/2024 धारा 377/506 भादवि व 3/4 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त **जलीस पुत्र हनीफ निवासी रहमानी चौक गली नं0 2 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर उम्र करीब 46 वर्ष** को दिनांक 27.05.2024 को ही ग्रीन पार्क के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

जलीस पुत्र हनीफ निवासी रहमानी चौक गली नं0 2 थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री सचिन पूनिया थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0 का0 960 सचिन थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

दिनांकः 28.05.2024

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में सशक्त पैरवी के चलते माननीय न्यायालय अपर-सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 जनपद सहारनपुर द्वारा अभियुक्त को 03 वर्ष का सश्रंम कारावास व 10 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गईः-

अवगत कराना है कि दिनांक 25.01.2021 को वादी द्वारा थाना नकुड़ पर उपस्थित आकर लिखित तहरीर बाबत अभियुक्त अभिषेक पुत्र मुकेशपाल निवासी मौ0 चौधरीयान कस्बा नकुड थाना नकुड जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पौत्री के साथ छेड़छाड़ कर कपडे फाड देने की सूचना पर मु0अ0स0-22/2021 धारा 354ख,506,व 7/8 पॉक्सो एक्ट थाना नकुड पर पंजीकृत कराया गया उपरोक्त अभियोग एसटी नं0 942/2021 पर माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 जनपद सहारनपुर में विचाराधीन रहा।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में **OPERATION CONVICTION** में चिन्हित मांनिटरिंग सैल द्वारा की गई सशक्त पैरवी एवं प्रयासो के चलते माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश एडीजे-15 जनपद सहारनपुर द्वारा आज दिनांक 28.05.2024 को अभियुक्त **अभिषेक पुत्र मुकेशपाल को मु0अ0स0-22/2021 धारा 354ख, 506, व 7/8 पॉक्सो एक्ट का दोषी पाते हुए 03 वर्ष का सश्रंम कारावास व 10 हजार रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

शासकीय अधिवक्ता (ए0डी0जी0सी0) श्रीमति चंचल चैहान
विवेचक उनि0 बलराम सिंह
पैरोकार है0का0 276 मैनीपाल थाना नकुड जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 28.05.2024

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सरसावा पुलिस द्वारा 02 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी गये सरसो के तेल के 03 टीन बरामद।

अवगत कराना है कि आज दिनांक 28.05.2024 को वादी श्री नवनीत गर्ग पुत्र सुंदरलाल गर्ग निवासी कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर द्वारा अपनी दुकान से 03 टीन (कनस्तर) जो सरसो के तेल से भरे हुए थे को चोरी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 124/2024 धारा 380/411 भादवि बनाम 01. जितेन्द्र पुत्र अशोक निवासी अशोक विहार कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर 02. दिलीप पुत्र बाबूराम निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर 03.फरमान पुत्र नामालूम निवासी नामालूम पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण एवं लूट/चोरी आदि घटनाओं की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी नकुड के निकट पर्यवेक्षण में तथा थानाध्यक्ष श्री सत्येन्द्र कुमार राय थाना सरसावा के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 28.05.2024 को उपरोक्त मुकदमें में वांछित अभियुक्तगण **जितेन्द्र पुत्र अशोक निवासी अशोक विहार कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर एवं दिलीप पुत्र बाबूराम निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर** को 03 टीन (कनस्तर) जो सरसो के तेल से भरे हुए है सहित कस्बा सरसावा से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पताः-

1. जितेन्द्र पुत्र अशोक निवासी अशोक विहार कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर
2. दिलीप पुत्र बाबूराम निवासी मौ0 हजारा कस्बा व थाना सरसावा जिला सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 राहुल शर्मा थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. का0 1259 विनीत तोमर थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त जितेन्द्र का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 158/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 160/2022 धारा 414/465 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
3. मु0अ0स0 247/2022 धारा 63/72 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 124/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

अभियुक्त दिलीप का अपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0स0 384/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0स0 385/2021 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0स0 246/2022 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
4. मु0अ0स0 41/2023 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
5. मु0अ0स0 243/2023 धारा 63 आबकारी अधिनियम थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
6. मु0अ0स0 2006/2009 थाना सरसावा जनपद सहारनपुर
7. मु0अ0स0 124/2024 धारा 379/411 भादवि थाना सरसावा जनपद सहारनपुर